न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	09/22	2022/152	15.09.2022	सरकार बनाम दिनेश चंद सैनी	26.02.2026	1 लगायत5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09/2022 (2022/152)

उनवान प्रकरण

1. पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य विकित्सा एवं स्वा अधिकारी, धौलपुर (राज०) –आवेदक

बनाम

1. दिनेश चंद सैनी पुत्र श्री रामजीलाल सैनी उम्र 32 वर्ष, जाति माली निवासी सरकारी स्कूल के पीछे, महूकला, तह० गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर (एफबीओ एण्ड मालिक) फर्म दिनेश चंद सैनी कचौरी जलेबी भण्डार सोनी चौराहे के पास स्टेशन रोड, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर –अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना संख्या एच–2090 खाद्य बस्तु जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन द्वारा दिनांक 26.09.2021 को मैसर्स दिनेश चंद सैनी कचौरी जलेबी भण्डार, सोनी चौराहे के पास स्टेशन रोड, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर का निरीक्षण किया। क्त निरीक्षण पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय देकर खाद्य लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहां तो उन्होने अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन सख्या 22219067000494 मौके पर दिखाया जो कि पत्रावली में संलग्न है।श्रीमान अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना संख्या एच–2090 खाद्य बस्तु जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार दिनांक 26.09. 2021 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन के द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया कि दुकान पर लगभग 4 किलोग्राम जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयावीन तेल निर्मित) बिकी हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) का नमूना बास्तो जाच देने हेतु विक्रेता से कहां और फार्म 5 ए मौके पर भर कर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये जो कि फार्म 5 ए मूल पत्रावली में सलग्न है। श्रीमान अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा नमूना सख्या एच–2090 खाद्य बस्तु जलेबी (गवा, चीनी य रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) की उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अनुसार विक्रेता की उक्त 170 लीटर जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयावीन तेल निर्मित) में से 2 किलोग्राम जलेबी (मैदा. चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता दिनेश चंद सैनी कचौरी जलेबी भण्डार को रु. 160/– (एक सौ साठ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता [illegible] करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भीहस्ताक्षर किये। [illegible] में संलग्न है। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने खरीदशुदा 2 किलो जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाई[illegible] सोयाबीन तेल निर्मित) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतल [illegible] उक्त खरीदशुदा जलबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयावीन तेल निर्मित) को प्रत्येक बोतल में बरा[illegible] बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एक दम ऐयरटाईट बंद [illegible] तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकायें और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के कोड कमांक एच–2090 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलिन की मात्रा, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गौद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं० एच–2090 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर नीचे दांये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आयें, गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा मौके पर दिनाक 26.09.2021 नमूनीकरण की कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर समझाकर विक्रेता दिनेश चंद सैनी कचौरी जलेबी भण्डार के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो पत्रावली में संलग्न है। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा कार्यालय पहुँचकर फार्म नं० अप की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं० अप की एक प्रति के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं नानक प्रयोगशाला जयपुर को श्री गजानन्द वार्ड बॉय के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। फार्म संख्या अप की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री गजानन्द वार्ड बॉय के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या अप की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या अप की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेट कर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डीओ कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चंद जैन द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है। अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन द्वारा नमूने का शेष चौथा भाग एवं फार्म संख्या अप की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेम चंद जैन द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो पत्रावली में संलग्न है।

अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई पत्रावली के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चंद जैन को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2021/2222 दिनाक 14.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1142/एक्ट/ 2021/1122 दिनांक 04.10.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक **(Substandard)** प्रकृति का पाया गया।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) अवमानक **(Substandard)** प्रकृति का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) अवमानक (Substandard) प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्यखाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1142/एक्ट/ 2021/1122 दिनांक 04.10.2021 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. / 1142 / Act / 2021 / 1122 Date: 04-10-2021

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Jalebi made from maida, sugar and refined soyabean oil" bearing Code number and Serial number H-2090 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 27-09-2021 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Jalebi Sweets made from maida, sugar and refined soyabean oil" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 28-09-2021 to 04-10-2021 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) **Sample description :** - Sample is in a sealed and intact wide mouth glass bottle.

(2) **Physical appearance :** - Orange coloured soft solid pieces of jalebi sweets.

(3) **Label :** - Loose sample.

Sl. No.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C of extracted oil.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	48.8	58.5 to 68.0 (refined soyabean oil)
2.	Iodine value of extracted oil.	——do——	59.43	120.0 to 141.0 (refined soyabean oil)
3.	Test for sugar	——do——	Positive	Positive
4.	Test for saccharine	——do——	Negative	Negative
5.	Test for Argemone oil of extracted oil.	——do——	Negative	Negative
6.	Test for Mineral oil of extracted oil.	——do——	Negative	Negative
7.	Added colouring matter.	——do——	Water soluble synthetic colour Sunset Yellow FCF (12mg/kg) found present.	Maximum (100mg/kg) for individual permitted colour as per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.

Opinion- The sample of "Jalebi made from maida, sugar and refined soyabean oil" bearing Code No. and Sr. No. H-2090 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as the extracted oil does not conform to the standards of refined soyabean oil as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 04th day of October 2021

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM The Director (P.H.), Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

A Butyro Refractometer (BR) reading of 48.8 at 40°C [illegible]oybean oil is low and suggests potential adulteration or high oxidation, as typical pure soybean oil falls in the 1.466–1.470 refractive index range, which translates to a higher BR [illegible]e.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Key Details Regarding the Reading
Expected Range: Refined soybean oil typically has a Refractive Index (RI) of 1.466–1.470 at 40°C. In the Butyro scale, this usually translates to a higher value than 48.8.
Interpretation of 48.8: A significantly lower BR reading may indicate the presence of oils with lower refractive indices (such as coconut or palm oil) or indicate that the oil is not pure soyabean oil.
Verification Needed: It is highly recommended to perform other tests, such as Fatty Acid Profile (GC) or iodine value, to confirm purity.
Contextual Information
Standard Method: The measurement should be taken at 40°C.
Temperature Sensitivity: The BR reading is highly dependent on temperature, which must be controlled to within ± 0.1°C.
Other Oils: For context, ghee typically has a BR reading of 40-45 at 40°C, while other vegetable oils have different standards. FSSAI

An iodine value of 59.43 g /100g for "extracted oil" is exceptionally low for pure, unadulterated soybean oil, indicating either highly oxidized oil, a modified, or a contaminated sample.
Analysis of the Iodine Value (59.43)
Normal Soybean Oil: Typically, fresh soybean oil has an iodine value between 124–139.
Significance of 59.43: A low iodine value indicates a very low degree of unsaturation (fewer double bonds).
Implications:
High Oxidation/Degradation: A significant decrease in iodine value occurs when oil is oxidized, polymerized, or used for deep frying.
Hydrogenation: The value suggests the soybean oil may be partially or heavily hydrogenated (saturated), as fully hydrogenated fats have an IV < 1-3, and tallow is 40-55.
Contamination/Adulteration: The value is closer to Palm Oil (50-55) or Lard (48-65), suggesting potential adulteration with lower-unsaturation oils.
Sample Type: If the "extracted oil" is from special cultivars (high oleic) or highly processed/aged samples, this may be expected, though 59.43 is still very low compared to standard high-oleic soybean oil.

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) अवमानक (**Substandard**) प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ जलेबी (मैदा, चीनी व रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्मित) अवमानक (**Substandard**) प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (अक्षरे–एक लाख रूपये). के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SudarShan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अति. जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी